आरटीआई मुद्दों पर कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण।

विभाग ने सीपीआईओ और एफएए को उनके सांविधिक दायित्वों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में दिनांक 11/02/2022 को आरटीआई अधिनियम में शामिल विभिन्न मुद्दों पर एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें विभाग, स्वायत्त निकायों, सांविधिक संगठनों और विभाग के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों के 52 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पहले सत्र के दौरान, श्री दीपक कुमार बिष्ट, संयुक्त निदेशक, आईएसटीएम ने आरटीआई मुद्दों और कानूनी मामलों के विभिन्न प्रावधानों पर विभिन्न निर्णयों के बारे में प्रतिभागियों को संबोधित किया।

दूसरे सत्र के दौरान श्री वडाली रामबाबू, उप सचिव, आईएसटीएम ने थर्ड पार्टी की सूचना और व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में कार्रवाई करने और उन दोनों के बीच मूलभूत अंतर के संबंध में विभिन्न प्रावधानों, प्रक्रिया-विधियों पर प्रतिभागियों को संबोधित किया।

****